



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16042020-219065
CG-DL-E-16042020-219065

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2020/चैत्र 27, 1942

No. 196]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2020/CHAITRA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

सा.का.नि. 254(अ).—केंद्र सरकार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क और धारा 12कक के साथ पठित धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:

1. (1) ये नियम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) तृतीय संशोधन नियम, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 8 में, उपनियम (5) के पश्चात्, "निर्दिष्ट" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक, अक्षर और आकृति को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 के महीनों के नियम 3 के उप नियम (1) के खंड (क), (ख), (खक), (ग) और (ङ) में संदर्भित लेनदेन के संबंध में और तिमाही जनवरी-मार्च 2020 के नियम 3 के उप नियम (1) के खंड (च) में संदर्भित लेनदेन के संबंध में "

[फा. सं. पी-12011/18/2019-ईएस सेल-डीओआर]

ऋत्तिक पांडे, संयुक्त सचिव

नोट : मुख्य नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 444(अ), दिनांकित 1 जुलाई, 2005 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और संख्या सा.का.नि. 251(अ), दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

G.S.R. 254(E).—In exercise of the powers conferred by section 73 read with section 11A and section 12AA of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in sub-rule (5), for the words “specified therein” the following words, brackets, letters and figure shall be substituted: -

“in respect of transactions referred to in clauses (A), (B), (BA), (C) and (E) of sub rule (1) of rule 3 for the months of March 2020, April 2020 and May 2020, and in respect of transactions referred to in clauses (F) of sub rule (1) of rule 3 for the quarter January-March 2020”

[F. No. P-12011/18/2019-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 444(E), dated the 1st July, 2005 and were last amended *vide* number G.S.R. 251(E), dated the 13th April, 2020.